2.2 अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आंमत्रण हेतु समय सारणीः–

स. क्र.	अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण	समय सीमा
1	जिन विद्यालयों में गत वर्ष तैयार पैनल से सत्र 2023–24 से आमंत्रित किये गये थे उन विद्यालयों में कार्यरत अभ्यर्थी को यथावत अमंत्रित करें।	22 अगस्त 2024 तक
2	ऐसे विद्यालय जहां विगत वर्ष में अतिथि स्पेशल एजुकेटर उपलब्ध नही थे उन विद्यालयों के लिए अभ्यथी स्कूल में आवेदन करें ।	28 अगस्त 2024 तक
3	तालिका के बिंदु क्रमांक–2 के अनुसार प्राप्त आवेदनों की मैरिट सूची को एस.एम.डी.सी. की बैठक में अनुमोदन उपरांत अतिथि स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित करना।	29 अगस्त 2024 तक
4	आमंत्रित किये गये अतिथि स्पेशल एजुकेटर की विद्यालय में उपस्थिति।	31 अगस्त 2024 तक
5	विमर्श पोर्टल में ऑनलाईन प्रविष्टि करना।	31 अगस्त 2024 तक

www.newsjobmp.com

3. संस्था प्रमुख प्रत्येक आवेदक के 2024–25 के स्कोर कार्ड को **GFMS** पोर्टल से डाउनलोड कर अभिलेख में संधारित करें।
4. अतिथि स्पेशल एजुकेटर को **SSS2-Special Educator** के पैनल के अनुसार मैरिट के आधार पर आमंत्रित किये जाये। किसी भी स्थिति भी बिना स्कोर कार्ड वाले आवेदक को आंमत्रित नही किया जाये।
5. अतिथि स्पेशल एजुकेटर को **SSS2-Special Educator** के पैनल के अनुसार आमंत्रित किया जा रहा है। अतः स्पेशल एजुकेटर का मानदेय अतिथि शिक्षक वर्ग–02 के निर्धारित मानदेय के अनुसार देय होगा, जिसका भुगतान समग्र शिक्षा अभियान के द्वारा किया जायेगा।
6. विद्यालय द्वारा अतिथि स्पेशल एजुकेटर के आमंत्रण की प्रक्रिया में पारदर्शिता रखी जाए। विद्यालय में आवेदन प्राप्त करने की समुचित व्यवस्था हो एवं प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुये पैनल बनाया जाए तथा पैनल को नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया जाए। एस.एम.डी.सी. की बैठक के कार्यवाही विवरण को व्यवस्थित रूप से संधारित किया जाए।
7. विद्यालय में जिस दिव्यांगता के विद्यार्थी की संख्या अधिक हो उस दिव्यांगता के विशेषज्ञ स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जाए। अन्यथा की स्थिति में अन्य स्पेशल एजुकेटर को आमंत्रित किया जा सकता है।
8. अथिति स्पेशल एजुकेटर को संलग्न परिशिष्ट में अंकित दायित्वों की पूर्ति करनी होगी।

www.newsjobmp.com

स्पेशल एजुकेटर द्वारा किये जाने वाले कार्य

1. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का चिन्हांकन।
2. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का औपचारिक व कार्यसाधक मूल्यांकन करना।
3. दिव्यांग विद्यार्थियों की अकादमिक अवश्यकताओं को समझते हुए उन्हें अकादमिक एवं व्यवहारिक रूप से सहयोग करना।
4. दिव्यांग विद्यार्थियों को मुख्य धारा मे लाने हेतु विद्यालय में शिक्षण माहौल निर्मित करना। विद्यालय एवं कक्षा में दिव्यांग विद्यार्थियों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव करना।
www.newsjobmp.com
5. IEP (Individualized Education Plan) के माध्यम से शिक्षण कार्य कराना।
6. दिव्यांग विद्यार्थियों के सीखने की क्षमता अनुसार उनके लिए सीखने के तरीके विकसित कर उन्हें मुख्य धारा में लाना।
7. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की विभिन्न आवश्यकताओं के अनुकूल कक्षागत रणनीति व पाठ्यक्रम उचित सुधार व अनुकूल करने हेतु सुझाव देना।
8. विशेष आवश्यकता वाले बच्चे को कक्षा मे तथा कक्षा के बाहर उन क्षेत्रों में विशेष समझ देना जो नियमित कक्षा में नही समझ पाए है।
9. सामान्य शिक्षा अंतर्गत सामान्य कक्षा में अन्य विद्यार्थियों के साथ दिव्यांग विद्यार्थी का सामंजस्य स्थापित करना।
10. नियमिक कक्षा शिक्षकों को विशेष आवश्यकता वाले बच्चे की अकादमिक अथवा अन्य कोई समस्या एवं समाधान के बारे में सलाह देना और कक्षा स्तर पर अकादमिक समझ विकसित करने हेतु शिक्षक प्रशिक्षण एवं सहयोग प्रदान करना।
11. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की नियमित उपस्थिति व ठहराव पर नजर रखना। यदि ऐसा बच्चा ड्राप आउट होता है तो कारण का पता लगाकर समाधान खोजना।
12. दिव्यांग विद्यार्थियों के अधिकारों की रक्षा करना एवं यह सुनिश्चित करना की उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव न हो।
13. चिन्हित बच्चों का आकलन कर उनका दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाना एवं उन्हें शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ दिलाना।
14. दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए चिकित्सा मूल्यांकन शिविर का आयोजन एवं सहयोग।
15. दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रदाय सुविधा भत्तों के लिए उनका चिन्हांकन कर जानकारी एकत्रित करना और भत्ते एवं अन्य सुविधाओं तक उनकी पहुंच सुनिश्चित करना।
16. संसाधन केन्द्र में उपलब्ध सुविधाओ और सहायक उपकरण, थैरेपी आदि का लाभ दिव्यांग विद्यार्थियों तक पहुंचना।
www.newsjobmp.com
17. सामर्थ्य प्रदर्शन एवं सामाजिक समावेश हेतु खेलकूद एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन एवं दिव्यांग विद्यार्थियों की सहभागिता सुनिश्चत करना।
18. विशेष आवश्यकता वाले बच्चों तथा उनके पालकों को उपयोगी सहयोग प्रदान करना एवं पालकों तथा समाज को प्रेरित करना तथा सलाह देना।
19. CWSN के पालकों की काउन्सिलिंग एवं प्रशिक्षण आयोजन में सहयोग करना।
20. स्पेशल एजुकेटर द्वारा कार्यरत संस्था के साथ–साथ समीपस्त विद्यालयों में दर्ज दिव्यांग विद्यार्थियों

मध्यप्रदेश की सरकारी नौकरियों एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए यहां से व्हाट्सएप चैनल Click Here